RBE No. 167

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(RAILWAY BOARD)

No.E(G)2010/EM 1/2 pt. New Delhi, dated 12.12.2011

The General Manager (s)
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Applicability of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 to persons re-employed in Railway service after retirement and whose pay is debitable to Railway Estimates.

Reference consolidated instructions issued by the Deptt. of Personnel and Training vide their OM No. 3/1/85-Estt.(P.II) dated 31/7/1986 reg. fixation of pay on re-employment of pensioners, which was circulated to the Railways vide Board's letter No. E(G)86/EM1/8 dated 21/1/1987.

After the introduction of the system of running pay bands and grade pays, the Department of Personnel and Training vide their O.M. No. 3/19/2009-Estt.(Pay II) dated 5-4-2010 have amended the relevant provisions of orders dated 31/7/1986 ibid in the manner indicated therein. A copy of the OM dated 5/4/2010 ibid is enclosed for guidance. DOP&T's O.M. No. 3/13/2008-Estt.(Pay II) dated 11.11.2008 mentioned therein has been adopted & circulated on the Railways vide Board's letter No. PC-VI/2009/I/RSRP/2 dated 30.4.2009. The amended provisions as indicated in the enclosed OM will apply mutatis mutandis in the case of fixation of pay of re-employed personnel on Indian Railways.

This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways (Railway Board).

Please acknowledge receipt.

(D. Joseph)
Dy. Director Estt. (Genl.)

No. E(G) 2010/EM 1-2 pt. New Delhi, dated 12.12.2011

Copy (with 40 spares) forwarded to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways),Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.

for FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

आरबीई सं.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (जी) 2010/ईएम 1/2 पार्ट **नई दिल्ली, दिनांक 12.12.2011**

महाप्रबंधक(एस),
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

विषय: सेवानिवृत्ति के पश्चात् रेल सेवा में पुनः नियुक्त किए गए उन व्यक्तियों, जिनका वेतन रेलवे अनुमानों में डेबिट किया जाना हो, पर रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 लागू करना।

कृपया कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 31.07.1986 के का.ज्ञा. सं.3/1/85-एस्ट. (पी-II) के तहत जारी समेकित अनुदेश देखें जो पेंशनभोगियों की पुनःनियुक्ति पर वेतन निर्धारण के संबंध में है, जिसे बोर्ड के दिनांक 21.01.1987 के पत्र सं. ई (जी) 86/ईएम 1/8 के तहत रेलों को परिपत्रित किया गया था।

मौजूदा रनिंग पे बैंड और ग्रेड पे की प्रणाली के शुरू किए जाने के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.04.2010 के का.ज्ञा. सं.3/19/2009-एस्ट. (पे-II) के तहत ऊपर उल्लिखित तरीके से दिनांक 31.07.1986 के आदेशों के संगत प्रावधानों को संशोधित किया गया है। ऊपर उल्लिखित दिनांक 05.04.2010 के कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति मार्गदर्शन के लिए संलग्न है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.11.2008 के का.ज्ञा. सं.3/13/2008-एस्ट. (पे-II) में उल्लिखित आदेशों को रेलों पर अपनाया गया है और उन्हें बोर्ड के दिनांक 30.04.2009 के पत्र सं.पीसी-VI/2009/I/आरएसआरपी/2 के तहत परिपत्रित किया गया है। संलग्न कार्यालय ज्ञापन में यथा उल्लिखित संशोधित प्रावधान भारतीय रेल पर पुनः नियुक्त किए गए कार्मिकों के वेतन निर्धारण के मामले में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

इसे रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति प्राप्त है.

कृपया पावती दें.

डी. जोसेफ
(डी. जोसेफ)
उप निदेशक, स्थापना (सामान्य)

सं. ई (जी) 2010/ईएम 1/2 पार्ट नई दिल्ली, दिनांक 12.12.2011

प्रतिलिपि प्रेषितः भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

ESST-E (G)

No. 3/19/2009-Estt. (Pay II)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension
Department of Personnel & Training
****

New Delhi, Dated: 5th April , 2010 .

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Applicability of CCS (RP) Rules, 2008 to persons re-employed in Government Service after retirement and whose pay is debitable to Civil Estimates.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 3/13/2008-Estt. (Pay II) dated 11th November, 2008 on the above-mentioned subject. Certain references have been received seeking clarification regarding the manner of fixation of pay of retired Defence Forces personnel/officers re-employed in Central Government Civilian posts, after the implementation of CCS (RP) Rules, 2008. This has been considered in consultation with Department of Expenditure. The pay fixation of re-employed pensioners on re-employment in Central Government, including that of Defence Forces personnel/officers, is being done in accordance with CCS (fixation of pay of re-employed pensioners) Orders, 1986, issued vide this Department's O.M. No. 3/1/85-Estt. (Pay II) dated 31st July, 1986 (as revised from time to time).

2. After the introduction of the system of running pay bands and grade pays, it has been decided to amend the relevant provisions of CCS (fixation of pay of re-employed pensioners) Orders, 1986 in the manner indicated below: -

Existing provision	Proposed revised provision
Para 4(a): Re-employed pensioners shall be allowed to draw pay only in the prescribed scales of pay of the posts in which they are re-employed. No protection of the scales of pay of the posts held by them prior to retirement shall be given.	Para 4(a): Re-employed pensioners shall be allowed to draw pay only in the prescribed pay scale/pay structure of the post in which they are re-employed. No protection of the scales of pay/pay structure of the post held by them prior to retirement shall be given. *Note: Under the provisions of CCS (RP) Rules, 2008, revised pay structure comprises the grade pay attached to the post and the applicable pay band.*
Para 4(b)(i): In all cases where the pension is fully ignored, the initial pay on re-employment shall be fixed at the minimum of the scale of pay of the re-employed post.	Para 4(b)(i): In all cases where the pension is fully ignored, the initial pay on re-employment shall be fixed as per entry pay in the revised pay structure of the re-employed post applicable in the case of direct recruits appointed on or after 1.1.2006 as notified vide Section II, Part A of First Schedule to CCS (RP) Rules, 2008.

Para 4(b)(ii): In cases where the entire pension and pensionary benefits are not ignored for pay fixation, the initial pay on re-employment shall be fixed at the same stage as the last pay drawn before retirement. If there is no such stage in the re-employed post, the pay shall be fixed at the stage next above that pay. If the maximum of the pay scale in which a pensioner is re-employed is less than the last pay drawn by him before retirement, his initial pay shall be fixed at the maximum of the scale of pay of the re-employed post. Similarly, if the minimum of the scale of pay in which a pensioner is re-employed is more than the last pay drawn by him before retirement, his initial pay shall be fixed at the minimum of the scale of pay of the re-employed post. However, in all these cases, the non-ignorable part of the pension shall be reduced from the pay so fixed.	Para 4(b)(ii): In cases where the entire pension and pensionary benefits are not ignored for pay fixation, the initial basic pay on re-employment shall be fixed at the same stage as the last basic pay drawn before retirement. However, he shall be granted the grade pay of the re-employed post. The maximum basic pay cannot exceed the grade pay of the re-employed post *plus* pay in the pay band of Rs.67000 i.e. the maximum of the pay band PB-4. In all these cases, the non-ignorable part of the pension shall be reduced from the pay so fixed. Illustration A Colonel who retired with basic pay of Rs.61700 (grade pay Rs.8700; pay in the pay band Rs.53000) is re-employed as a Deputy Secretary in an organization with grade pay of Rs.7600. In this case, on re-employment, his basic pay will continue to be Rs.61700. However, his grade pay on re-employment will be Rs.7600 and the pay in the pay band Rs.54100. Thereafter, the non-ignorable part of the pension will be reduced from the pay so fixed. *Note: In the revised pay structure, basic pay is pay in the pay band plus the grade pay attached to the post.*
Para 4(c): The re-employed pensioner will, in addition to pay as fixed under Para (b) above shall be permitted to draw separately any pension sanctioned to him and to retain any other form of retirement benefits.	Para 4(c): No change.
Para 4(d): In the case of persons retiring before attaining the age of 55 years and who are re-employed, pension (including PEG and other forms of retirement benefits) shall be ignored for initial pay fixation in the following extent:- (i) In the case of ex-servicemen who held posts below Commissioned Officer rank in the Defence Forces and in the case of civilians who held posts below Group 'A' posts at the time of their retirement, the entire pension and pension equivalent of retirement benefits shall be ignored. (ii) In the case of service officers belonging to the Defence Forces and Civilian pensioners who held Group 'A' posts at	Para 4(d): In the case of persons retiring before attaining the age of 55 years and who are re-employed, pension (including PEG and other forms of retirement benefits) shall be ignored for initial pay fixation in the following extent:- (i) No change. (ii) In the case of Commissioned Service officers belonging to the Defence Forces and Civilian pensioners who held Group 'A'

the time of their retirement, the first Rs. 500/-* of the pension and pension equivalent retirement benefits shall be ignored. (*Already revised to Rs. 4000/- vide O.M. No. 3/13/2008-Estt. (Pay II) dated 11th November, 2008)	posts at the time of their retirement, the first Rs.4000/- of the pension and pension equivalent retirement benefits shall be ignored.

3. Apart from the above, it is also clarified as under: -

(i) **Drawal of increments:** Once the initial pay of the re-employed pensioner has been fixed in the manner indicated above, he will be allowed to draw normal increments as per the provisions of Rule 9 and 10 of CCS (RP) Rules, 2008.

(ii) **Allowances:** The drawal of various allowances and other benefits in the revised pay structure shall be regulated with reference to the grade pay of the re-employed post or the basic pay, as the case may be.

(iii) **Treatment of Military Service Pay (MSP):** MSP is granted to Defence Forces officers/personnel while they are serving in the Defence Forces. Accordingly, on their re-employment in civilian organizations, including secret organizations under the Cabinet Secretariat umbrella, the question of grant of MSP to such officers/personnel does not arise. However, the benefit of MSP given to all retired Defence Forces officers/personnel by reckoning it at the time of calculation of their pension (notionally in the case of pre-1.1.2006 pensioners) should not be withdrawn. Accordingly, while the pension of such re-employed pensioners will include the element of MSP, they will not be granted MSP while working in civilian organizations.

(iv) **Fixation of pay of personnel/officers re-employed prior to 1.1.2006 and who were in employment as on 1.1.2006:** In the case of personnel/officers who were re-employed before 1.1.2006 and who were working in the Central Government organizations on re-employment basis as on 1.1.2006, their pay will be fixed in accordance with the provisions of DOPT O.M. No.3/13/2008-Estt.(Pay II) dated 11.11.2008. This O.M. stipulates that re-employed persons who become eligible to elect revised pay structure shall exercise option in the manner laid down in Rule 6 of CCS (RP) Rules, 2008 and their pay shall be fixed in accordance with the provisions of Rule 7 of CCS (RP) Rules, 2008. In this context, it is clarified that in accordance with the provisions of Rule 7 of CCS (RP) Rules, 2008, Department of Expenditure issued fitment tables corresponding to each pre-revised pay scale vide O.M. No.1/1/2008-IC dated 30.8.2008. In the case of those personnel/officers as well, who were re-employed before 1.1.2006 and who were working in the civilian organizations on re-employment basis as on 1.1.2006, their pay will be fixed with reference to the fitment table of the pre-revised civilian pay scale in which they were

pay on re-employment will be fixed at the same stage as the notional last basic pay before retirement so arrived at. However, they shall be granted the grade pay of the re-employed post. The maximum basic pay cannot exceed the grade pay of the re-employed post *plus* pay in the pay band of Rs.67000 i.e. the maximum of the pay band PB-4. In all these cases, the non-ignorable part of the pension shall be reduced from the pay so fixed.

4. The existing instructions on the subject shall be treated as amended to this extent.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit & Accounts Department are concerned, these orders are being issued after consultation with the Comptroller & Auditor General of India.

(Rita Mathur)
Director

To
All Ministries/Department (As per standard list attached)

Copy to : Director (NIC), Department of Personnel & Training, to upload the O.M. on this Department's website under the Head "Establishment (Pay)", Sub-Head "Pay Rules" & under the caption "What's New".

Copies also forwarded to:

1. The Comptroller & Auditor General of India and all States under his control. (With 400 spare copies)
2. Controller General of Accounts/Controller of Accounts, Ministry of Finance.
3. Secretaries to UPSC/Supreme Court of India/Election Commission/Lok Sabha Secretariat/Cabinet Secretariat/Central Vigilance Commission/President's Secretariat/Vice President's Secretariat/Prime Minister's Office/Planning Commission.
4. Department of Personnel & Training (AIS Division)/JCA/Admn. Section.
5. Additional Secretary (Union Territories), Ministry of Home Affairs.
6. All State Governments and Union Territories.
7. Secretary, National Council (Staff Side), 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi
8. All Members of the Staff Side of the National Council of JCM/Departmental Council.
9. All Officers/Sections of the Department of Personnel & Training/Department of Administrative Reforms & Public Grievances/Department of Pension & Pensioners' Welfare.
10. Ministry of Finance, Department of Expenditure
11. 25 spare copies.

(Rita Mathur)
Director

संख्या 3/19/2009-स्था.(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

नई दिल्ली; दिनांक : 5 अप्रैल 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में पुनर्नियोजित व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों, जिनका वेतन, सिविल प्राक्कलनों के नामे योग्य होता है, पर केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 का लागू होना ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 11 नवंबर, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/13/2008-स्था.(वेतन-II) का हवाला देने का निदेश हुआ है । केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन के बाद केन्द्रीय सरकार के सिविलियन पदों में रक्षा सेनाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों/अधिकारियों के वेतन नियतन के तरीके के संबंध में स्पष्टीकरण मांगते हुए संदर्भ प्राप्त हुए हैं, जिन पर व्यय विभाग के परामर्श से विचार किया गया है । रक्षा सेना के कार्मिकों/अधिकारियों सहित, केन्द्रीय सरकार में पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का नियतन, इस विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/85-स्था.(वेतन-II) (समय-समय पर यथासंशोधित) द्वारा जारी सी.सी.एस.(पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का नियतन) आदेश, 1986 के अनुसार किया जाता है ।

2. प्रचलित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की प्रणाली शुरु होने के बाद सी.सी.एस. (पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों के वेतन का नियतन) आदेश, 1986 के संगत प्रावधानों में नीचे दिए गए निर्दिष्ट संशोधन करने पर निर्णय किया गया है :-

मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान
पैरा 4(क) : पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों को उन पदों के विहित वेतनमान में ही वेतन आहरित करने की अनुमति होगी, जिस पर वे पुनर्नियोजित हैं । सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पदों के वेतनमानों की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी ।	पैरा 4(क) : पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों को उन पदों के निर्धारित वेतनमानों/वेतन ढांचे में ही वेतन आहरित करने की अनुमति होगी, जिस पर वे पुनर्नियोजित हैं । सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके द्वारा धारित पदों के वेतनमानों/वेतन ढांचे की कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी । टिप्पणी : केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधित वेतन ढांचा में पदों से संबद्ध ग्रेड वेतन

	और लागू वेतन बैंड शामिल होते हैं ।
पैरा 4(ख)(i) : ऐसे सभी मामलों में, जहां पेंशन की अनदेखी की जाती है, पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन का नियतन, पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर किया जाएगा ।	पैरा 4(ख)(i) : ऐसे सभी मामलों में जहां पेंशन की अनदेखी की जाती है, पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन का नियतन, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में प्रथम अनुसूची की धारा-II, भाग क द्वारा यथाअधिसूचित 1.1.2006 को या उसके बाद नियुक्त सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों के मामले में लागू पुनर्नियोजित पदों के संशोधित वेतन ढांचे में प्रवेश वेतन के अनुसार किया जाएगा ।
पैरा 4(ख)(ii) : ऐसे मामलों में जहां वेतन नियतन के लिए पूरी पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ की अनदेखी नहीं की जाती है, पुनर्नियोजन पर आरंभिक वेतन का नियतन, सेवानिवृत्ति पूर्व आहरित अंतिम वेतन के अनुसार उसी प्रक्रम पर किया जाएगा । यदि पुनर्नियोजित पद में ऐसा प्रक्रम नहीं है, वेतन का नियतन, उस वेतन से ऊपर अगले प्रक्रम पर किया जाएगा । यदि उस वेतनमान का न्यूनतम, जिसमें कोई पेंशनभोगी पुनर्नियोजित है, सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन से कम हो, तो उसका आरंभिक वेतन पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के अधिकतम पर नियत किया जाएगा । इसी प्रकार, यदि वेतनमान का न्यूनतम, जिसमें एक पेंशनभोगी पुनर्नियोजित है, सेवानिवृत्ति से पूर्व उसके द्वारा आहरित अंतिम वेतन से अधिक हो, तो उसके आरंभिक वेतन का नियतन, पुनर्नियोजित पद के वेतनमान के न्यूनतम पर किया जाएगा । तथापि, ऐसे सभी मामलों में, पेंशन के अनदेखी नहीं किए जाने वाले भाग को इस प्रकार नियत किए गए वेतन से कम कर दिया	पैरा 4(ख)(ii) : ऐसे मामलों में जहां वेतन नियतन के लिए पूरी पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ की अनदेखी नहीं की जाती है, पुनर्नियोजन पर आरंभिक मूल वेतन का नियतन, सेवानिवृत्ति पूर्व आहरित अंतिम मूल वेतन के अनुसार उसी प्रक्रम पर किया जाएगा । तथापि, उसे पुनर्नियोजित पद का ग्रेड वेतन दिया जाएगा । अधिकतम मूल वेतन, पुनर्नियोजित पद के ग्रेड वेतन और 67000/-रु. वाले वेतन बैंड में वेतन को मिलाकर अर्थात् वेतन बैंड पी.बी.4 के अधिकतम से अधिक नहीं होगा । इन सभी मामलों में, पेंशन की अनदेखी न करने वाला भाग इस प्रकार नियत किए गए वेतन से कम कर दिया जाएगा । उदाहरण एक कर्नल सेवानिवृत्त हुआ, जिसका मूल वेतन 61700/-रु. (8700/- ग्रेड वेतन; 5300रु. वेतन बैंड में वेतन था, वह 7600रु के ग्रेड वेतन में किसी संगठन में उप सचिव के रूप में पुनर्नियोजित है । इस मामले में, पुनर्नियोजन पर उनका मूल वेतन 61700 रुपये रहेगा । तथापि, पुनर्नियोजन पर उनका ग्रेड वेतन 7600 रु. होगा और वेतन बैंड में वेतन 54100 रु. । उसके बाद, पेंशन की अनदेखी न करने वाला भाग इस प्रकार नियत किए गए वेतन से कम कर दिया जाएगा ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह भी निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-

(i) वेतनवृद्धि आहरित करना : एक बार पुनर्नियुक्त पेंशनभोगी का आरंभिक वेतन उपर्युक्त दर्शाए गए अनुसार नियत कर दिया जाता है, तो उसे केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 9 और 10 के प्रावधानों के अनुसार सामान्य वेतनवृद्धि आहरित करने की अनुमति होगी ।

(ii) भत्ते :- संशोधित वेतन संरचना में विभिन्न भत्ते तथा अन्य प्रसुविधाओं का आहरण पुनर्नियुक्ति वाले पद अथवा मूल वेतन जैसी भी स्थिति हो, के ग्रेड वेतन के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(iii) सैन्य सेवा वेतन (एम.एस.पी.) को गिना जाना :- सैन्य सेवा वेतन (एम.एस.पी.) रक्षा बलों के अधिकारियों/कार्मिकों को प्रदान किया जाता है, जब वे रक्षा बलों में कार्यरत होते हैं । तदनुसार, मंत्रिमंडल सचिवालय के अधिकारक्षेत्र में आने वाले गुप्त संगठनों सहित सिविल संगठनों में उनके पुनर्नियुक्त होने पर ऐसे अधिकारियों/कार्मिकों को एम.एस.पी दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि रक्षा बलों के सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों/कार्मिकों को प्रदान किया गया एम.एस.पी. का लाभ जिसकी पेंशन की गणना करते समय संगणना कर ली गई थी (दिनांक 1.1.2006 से पूर्व के मामले में नोशनल आधार पर) उसे वापिस नहीं लिया जाना चाहिए । तदनुसार, जहां पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों की पेंशन में एम.एस.पी. का लाभ शामिल होगा, उन्हें सिविल संगठनों में कार्य करते समय एम.एस.पी. प्रदान नहीं किया जाएगा ।

(iv) दिनांक 1.1.2006 से पूर्व पुनर्नियुक्त और दिनांक 1.1.2006 को सेवारत कार्मिकों/अधिकारियों के वेतन का निर्धारण :- ऐसे कार्मिकों/ अधिकारियों के मामले में जो दिनांक 1.1.2006 से पूर्व पुनर्नियुक्त हुए थे और जो दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार पुनर्नियुक्ति आधार पर केन्द्रीय सरकार के संगठनों में कार्य कर रहे थे, उनका वेतन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.11.2008 के का.ज्ञा.सं. 3/13/2008-स्था.(वेतन-II) के प्रावधानों के अनुसार नियत किया जाएगा । यह कार्यालय ज्ञापन निर्धारित करता है कि पुनर्नियुक्त कर्मचारी जो संशोधित वेतन ढांचा चुनने के लिए पात्र हो जाते हैं, वे केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 6 में निर्धारित किए गए तरीके से अपना विकल्प देंगे और उनका वेतन केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार नियत किया जाएगा । इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार व्यय विभाग ने दिनांक 30.8.2008 के का.ज्ञा.सं. 1/1/2008-आई.सी. द्वारा प्रत्येक पूर्व संशोधित वेतनमान के समरूप फिटमेंट सारणी जारी की है । उन कार्मिकों/ अधिकारियों के मामले में भी जो दिनांक 1.1.2006 से पूर्व पुनर्नियुक्त हो गए थे और जो

दिनांक 1.1.2006 को पुनर्नियुक्ति आधार पर सिविल संगठनों में कार्य कर रहे थे, उनका वेतन पूर्व संशोधित सिविल वेतनमानों की फिटमैंट सारणी के संदर्भ में नियत किया जाएगा, जिसमें वे पुनर्नियुक्त हुए थे और दिनांक 1.1.2006 की स्थिति के अनुसार पूर्व संशोधित वेतनमान में उनके स्तर (स्टेज) के समरूप किया जाएगा ।

(v) ऐसे कार्मिकों/अधिकारियों के वेतन का निर्धारण जो दिनांक 1.1.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए थे और जो दिनांक 1.1.2006 के बाद पुनर्नियुक्त हुए :- ऐसे कार्मिकों/अधिकारियों के मामले में जो दिनांक 1.1.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे और जो दिनांक 1.1.2006 के बाद पुनर्नियुक्त हुए, का पुनर्नियुक्ति पर वेतन, सेवानिवृत्ति के समय उनकी संशोधित मूल वेतन पर नोशनल आधार पर पहुँचते हुए नियत किया जाएगा कि जिस प्रकार वे संशोधित वेतन संरचना के तहत सेवानिवृत्त हुए होते । ऐसा वेतन निर्धारण रक्षा सेवा रैंक/सिविल सेवा पदों (जैसी भी स्थिति हो) जिससे वे सेवानिवृत्त हुए थे, की फिटमेंट सारणी के संदर्भ में और उनकी सेवानिवृत्ति के समय उनके मूल वेतन के स्तर पर किया जाएगा । पुनर्नियुक्ति पर उनका मूल वेतन उस स्तर पर किया जाएगा, जो सेवानिवृत्ति से पूर्व नोशनल अंतिम मूल वेतन पर पहुँचता । तथापि, उन्हें पुनर्नियुक्त पद का ग्रेड वेतन प्रदान किया जाएगा । अधिकतम मूल वेतन, पुनर्नियुक्त पद के ग्रेड वेतन जमा 67000 रुपए के वेतन बैंड अर्थात् वेतन बैंड-4 के अधिकतम से अधिक नहीं होगा । इन सभी मामलों में पेंशन के उपेक्षणीय भाग (नॉन-इग्नोरेबल) की इस प्रकार नियत वेतन में कटौती नहीं की गई थी ।

4. उपर्युक्त विषय पर मौजूदा अनुदेश, इस सीमा तक संशोधित माने जाएंगे ।

5. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

रीता माथुर
(रीता माथुर)
निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार) ।